**श्री शिवानन्द तिवारी**: सभापति महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने देरी के लिए खेद व्यक्त किया है, इसलिए वह बात खत्म हो गई। इस सरकार को 7 वर्ष हो गए हैं और 1988 में जो यह कानून बना था, वह राजीव गांधी का बहुत ही pet कानून था और इनको इस बात का अहसास था कि अगर यह कानून बन जाएगा, तो इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी हमने लोकपाल बिल पर चर्चा की। आपने 2006 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में Administrative Reforms Commission बनाया। उसमें भ्रष्टाचार को कैसे रोका जाए, इसके बारे में बहुत विस्तार से बताया गया था और इसमें लोकपाल एवं लोकायुक्त के बारे में बताया गया था, लेकिन आपने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि हम लोगों ने 10-12 दिन तक जो तमाशा देखा, उसके बारे में बयान देने की जरूरत नहीं है। ...**(व्यवधान)**...

**श्री सभापति**: कृपया आप इस पर सवाल पूछिए।

**श्री शिवानन्द तिवारी**: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस तरह के जितने भी मामले हैं, जिन पर आप पहले से काम करते रहे हैं और बीच में उन्हें आपने छोड़ दिया, उन सारे मामलों को देख कर, उनके बारे में एक बार finally निष्पादन करने की आपकी कोई योजना है या नहीं है?

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, so far as the Lokpal and other things are concerned, surely the hon. Member would agree that we had an exhaustive discussion a whole day. I am not going to refer to that. But, yes, the Second Administrative Reforms Commission under Shri Veerappa Moily has given series of recommendations not only on ways of curbing corruption but also on taking various preventive measures. These recommendations are acted upon. A large number of recommendations have already been accepted. The concerned Ministries have been instructed to take appropriate actions on them. Some of these are being regularly monitored by us. In fact, a committee under my own chairmanship is looking into these matters. There are several important recommendations which would be put into legislations and it would help us. But, the hon. Member would appreciate the fact that we fail to transact the normal business of the House on a number of days; the legislative business cannot be done outside the House. Legislative business is to be done within the Houses — this House and the other House. Four weeks are going to be over and we could pass only 7 or 8 small legislations. If the House does not regularly function to transact the business, how can we make the laws?

**Criteria for opening of new medical colleges**

383. SHRI RAM KRIPAL YADAV: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) the criteria and requirement of land for opening of new medical colleges;

(b) whether there are different criteria for the private institutions and Government institutions;

(c) whether Government has any plan to modify the criteria and make it mandatory for all new medical colleges not to come up on agricultural land any where in the country;

(d) if so, the details thereof; and

(e) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI GHULAM NABI AZAD): (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

***Statement***

(a) The Establishment of Medical College Regulations, 1999, laid down the rules for establishment of a medical college. Clause 1 and clause 2 of this Regulation delineate the eligibility criteria and the qualifying criteria respectively. As per the eligibility criteria, only State Governments/Union Territories or a University or an autonomous body permitted by the Central and State Government for the purpose of medical education or a registered society or public religious/charitable trust registered under the Trust Act or the WAKFS Act are eligible to apply for permission to set up a medical college.

The qualifying criteria entails that the person eligible to apply for permission to establish a medical college should fulfil certain criteria which *inter alia* includes the following:

(i) that the person should own and possess a single plot of land measuring not less than 20 acres (the relaxations have been given for metro cities, North Eastern States, hill States etc.);

(ii) that the person should obtain an Essentiality Certificate from the State Government for establishment of the college and consent of affiliation from the concerned university;

(iii) that the person should own and manage a hospital of not less than 300 beds with necessary infrastructural facilities (relaxations are being provided for the North-Eastern States and hill States);

(b) No, Sir.

(c) to (e) The Central Government, in consultation with Medical Council of India, amended Establishment of Medical College Regulations, 1999, on 28th February, 2010. As per the revised provisions, the land requirement for setting up a medical college has been reduced to 20 acres from 25 acres throughout the country. However, in Metropolitan (Mumbai, New Delhi, Kolkata and Chennai) and A Grade cities (Ahmedabad, Hyderabad, Pune, Bangalore and Kanpur), medical colleges can have multi-storied buildings with the required floor area as per MCI norms. In such cases, the requirement of land would be 10 acres instead of 20 acres. Further, in urban areas where the population is more than 25 lakhs (other than nine cities mentioned above) and hilly areas and notified tribal areas, North Eastern States, Hill States and Urban Territories of Andaman and Nicobar Islands, Daman and Diu, Dadra and Nagar Haveli and Lakshadweep, the land can be in two pieces at a distance of not more than 10 kms.

The subject of agriculture land falls in the State List in seventh schedule of Constitution of India and therefore, the policies relating to use of agricultural land is required to be framed by State Government.

**श्री राम कृपाल यादव**: सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी की ओर से मेरे प्रश्न का जवाब तो आया है, लेकिन प्रश्न की जो मूल भावना है, उस पर विस्तार से कुछ नहीं बताया गया है।

सर, इन्होंने बताया है कि मेडिकल कॉलेज को स्थापित करने के लिए कितनी जमीन की आवश्यकता है। इन्होंने यह भी बताया है कि यह पहले से कम हुई है। मैं खास तौर पर यह देखता हूं कि पूरे देश में व्यापक पैमाने पर शहरीकरण हो रहा है तथा आबादी भी बढ़ रही है, लेकिन जो कृषि-योग्य जमीन है, उसकी एक limitation है। जब मेडिकल कॉलेजिज़ या इस तरह की दूसरी संस्थाएं खुलती हैं, तो गाँव का किसान जो खेती पर निर्भर करता है, उसकी जमीन बड़े पैमाने पर acquire कर ली जाती है। इससे स्थिति यह हो जाती है कि बहुत से परिवार बेरोजगार हो जाते हैं, क्योंकि खेती के अलावा किसानों की दूसरी कोई आमदनी नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में भी यह कहा है कि इस तरह की संस्थाओं को खोलने में कृषि-योग्य जमीन का कम उपयोग किया जाए या इसका उपयोग न किया जाए। हालाँकि माननीय मंत्री जी ने यह कहा है कि यह राज्य से जुड़ा हुआ सवाल है, लेकिन मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि क्या आप कोई ऐसा कानून बनाएंगे अथवा ऐसा कोई विचार रखते हैं कि मेडिकल कॉलेज को स्थापित करने में कृषि-योग्य जमीन का इस्तेमाल न हो और जो जमीन कृषि-योग्य नहीं है, उस पर मेडिकल कॉलेज और इस तरह की संस्थाएं खोली जाएं? क्या मंत्री जी इसका जवाब देंगे?

**श्री गुलाम नबी आज़ाद**: सर, मैं राम कृपाल यादव जी का पूरा समर्थन करता हूं और मैं खुद इस हक़ में हूँ।

माननीय वित्त मंत्री यहां हैं। अभी छः महीने पहले प्लानिंग कमीशन की मीटिंग्स दो दफा हुई हैं और दोनों दफा मैंने एक ही बात repeat की कि देश में हम जो सड़कें, बिल्डिंग्स और अस्पताल बना रहे हैं, वे agricultural land पर बन रहे हैं, जिसकी वजह से जमीन घटती जा रही है, तो फिर हमारा फूड प्रॉडक्शन कहां से होगा? मैं इनसे बराबर सहमत हूं, लेकिन हमारा मंत्रालय इसको करने के लिए सक्षम नहीं है।

मैंने बताया है कि agriculture State subject है और यह Seventh Schedule of Constitution के State List में है। मेरे साथी कैबिनेट मिनिस्टर यहां हैं। मुझे सुनने में आया है तथा पेपर्स में भी पढ़ रहा हूं कि इनको भी इस बात की उतनी ही चिन्ता है जितनी हमें है और ये उसमें कुछ न कुछ कर रहे हैं। शायद Ministry of Rural Development इस पर काम कर रही है कि इसके लिए कौन-सी जमीन खरीदनी चाहिए और कैसे उनको मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन, हेल्थ मिनिस्ट्री इस काम को करने के लिए सक्षम नहीं है।

**श्री राम कृपाल यादव**: सर, मैं माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इन्होंने हमारी भावनाओं या किसानों की भावनाओं से अपने आपको जोड़ा है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या आप अपनी पहल पर, चाहे माननीय वित्त मंत्री से या जो संबंधित विभाग है, उनसे पहल करके इसका कोई solution निकालेंगे कि खेती योग्य जमीन का इस्तेमाल ऐसी संस्थाओं को खोलने में कम किया जाए या न किया जाए ताकि जो कृषक बेरोजगार हो रहे हैं या जैसा आपने खुद कहा कि जो फूड की बड़ी समस्या आ रही है, उसका निदान निकल सके और किसान बेरोजगारी और भुखमरी से बच सकें? क्या आप ऐसी कोई पहल करने जा रहे हैं?

**श्री गुलाम नबी आज़ाद**: सर, मैंने अपने उत्तर में पहले ही बताया है कि प्लानिंग कमीशन, जिसकी अध्यक्षता माननीय प्रधानमंत्री करते हैं और जिसमें पूरे देश और राज्यों का प्लान approve होता है, वहां मैंने यह बात रखी है। मैं नहीं समझता कि उससे ज्यादा appropriate कोई और जगह होगी? जैसा मैंने अर्ज़ किया कि 6 महीने में दूसरी बार, अभी 10 दिन पहले इस पर दोबारा बल दिया गया है कि अगर हमें agricultural production बढ़ानी है, तो हमें agricultural land पर construction बन्द करनी चाहिए।

**प्रो. राम गोपाल यादव**: माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि केन्द्र सरकार मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से सलाह-मशविरा करने के बाद मेडिकल कॉलेजिज़ के खोले जाने के बारे में निर्णय लेगी और नियम बनाएगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार द्वारा स्थापित मेडिकल कॉलेजिज़, पैरा-मेडिकल इंस्टिट्यूट्स या नये मेडिकल कॉलेजिज़, जो आपकी अनुमति से खोले गए हैं, क्या कोई राज्य सरकार आपकी अनुमति के बगैर उनको निजी हाथों में बेच सकती है? अगर ऐसा नहीं है तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तमाम नए मेडिकल कॉलेजेज़, पैरा-मेडिकल इंस्टीट्यूट्स को निजी हाथों में बेचे जाने की कोई अनुमति आप ने दी है?

**श्री गुलाम नबी आजाद**: सर, दो चीजें हैं। एक तो माननीय सदस्य ने जिक्र किया कि केन्द्रीय सरकार मेडिकल काउंसिल की रिकमंडेशन पर अनुमति देती थी, वह पिछले साल तक देती थी, लेकिन पिछले साल हमने

इसी सदन में अमेंडमेंट लाकर उसे भंग किया। इस बारे में कल भी चर्चा हुई थी। वे तमाम पावर्स अब मेडिकल काउंसिल को दी गई हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने permission देने का काम अपने पास नहीं रखा है, फाइनल permission और रिजेक्शन या सलेक्शन का फाइनल लेटर भी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से ही भेजा जाता है। जहां तक यू.पी. में कुछ मेडिकल कॉलेजेज़ को, गवर्नमेंट कॉलेजेज़ को प्राइवेट क्षेत्र को दिए जाने का संबंध है, इस बारे में मुझे कोई इत्तला नहीं है। मैं उस की जानकारी हासिल कर माननीय सदस्य को प्राप्त कराऊंगा।

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: Sir, the question that has been raised is about opening of medical colleges and sanction to them. The fact revealed by the hon. Minister is that there is a certain criterion that in general category the land should be less than 20 acres, in big cities, Category 'A' cities, it can be 10 acres under certain conditions and in the North Eastern Region it can be in two plots.... सर, एक तरफ आप बात कर रहे हैं कि जमीन नहीं ली जानी चाहिए और आप उस से सहमत भी हैं, वहीं दूसरी तरफ आप का मानक है कि जीमन 20 एकड़ से कम नहीं होनी चाहिए। सर, इन दोनों में बड़ा विरोधाभास है। जिस दिन आप देश में इस मानक को कम करेंगे, क्योंकि आजकल देहात में भी कम स्थान में बड़ी बिल्डिंग बन सकती है, जब तक आप इस मानक को लेकर चलेंगे तब तक इस देश में जो मेडिकल कॉलेजेज़ की रिक्वायरमेंट है, उसे पूरा नहीं किया जा सकता है। सर, आज भी बिहार ऐसा प्रांत है जहां मात्र 8 मेडिकल कॉलेजेज़ हैं, जबकि उस की आबादी 8 करोड़ है। एक तरफ आप मान्यता रखते हैं कि मात्र 300 सीट्स वाले अस्पतालों को ही इसमें परिवर्तित कर सकते हैं तो जब तक इस देश में आप ऐसे मानक लगाएंगे तब तक यह विवाद बना रहेगा। सर, भगवान ने तो जमीन का निर्माण बंद कर दिया है, God has stopped manufacturing land. Keeping that in mind, if you do not change your policy which is archaic and do not change the rules here, which is much in your hand, it will not be possible. Instead of talking about and taking up issues of land and farmers, you have to be more pragmatic in your policies as far as opening of medical colleges is concerned. That is how you can serve the population of 1200 million people. So, we need a policy level answer and not what exactly he is answering. I think most of the Members would agree to that.

**श्री गुलाम नबी आजाद**: माननीय सदस्य को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा। सब से पहले तो उन्हें बता दूं कि बिहार में आठ नहीं दस मेडिकल कॉलेजेज़ हैं।

**श्री राजीव प्रताप रूडी**: यह आप के जवाब में है।

**श्री गुलाम नबी आजाद**: वहां सात गवर्नमेंट हैं और तीन प्राइवेट हैं, लेकिन जहां तक जमीन का सवाल है, जमीन का rationalization भी हम ने अपने initiative पर किया था। हमें कहीं भी स्टेट से यह शिकायत नहीं आयी कि land होने, न होने की वजह से या कम होने की वजह से कोई कॉलेज नहीं बना पाया। अलबत्ता ९९.९ शिकायतें

एम.सी.आई. को या पहले जब गवर्नमेंट को, जब वह इसे डील करती थी, वे infrastructure से related थीं कि बिल्डिंग मुकम्मल नहीं है या Human resource से कि faculty नहीं है, लेकिन जमीन कम होने की वजह से कोई शिकायत नहीं हुई। यदि अगर हमको Entrepreneurs की तरफ से ऐसी शिकायत आएगी कि जमीन ज्यादा होने की वजह से वे नहीं बना सकते हैं, तो मैं Honourable member को आश्वासन दिलाना चाहूंगा कि हम इसे जरूर further liberalise करेंगे।

**श्री हुसैन दलवई:** सर, माननीय मंत्री जी ने उत्तर देते हुए कहा है कि Charitable trusts और वक्फ बोर्ड्स मेडिकल कॉलेज के लिए, हॉस्पिटल के लिए application दे सकते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या किसी वक्फ बोर्ड ने ऐसी application दी है? अगर दी है तो किस बोर्ड ने दी है और नहीं दी है तो क्या application देने के लिए सरकार कोई प्रयत्न करेगी?

**श्री गुलाम नबी आजाद:** सर, अभी तक तो किसी वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई कॉलेज खोलने की रिकमंडेशन नहीं आयी है, लेकिन ज़ाहिर है कि अगर मेडिकल काउंसिल के रूल्स व क्राइटेरिया में वह आएगी तो उस में किसी के साथ कोई भेदभाव किए जाने का सवाल ही नहीं है।

**Disclosure of BCCI and IPL**

*384. MS SUSHILA TIRIYA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that BCCI and IPL have disclosed very low earnings to avoid paying taxes;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the steps Government is taking in this regard?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) and (a) A statement is laid on the Table of the House.

***Statement***

(a) and (b) No, Sir. As the income of BCCI was entirely exempt from tax under section 12A of the income of the Income Tax Act 1961, the question of disclosing low earnings to avoid paying taxes did not arise. Gross receipts disclosed by BCCI in its tax returns, for the assessment years 2007-08 to 2010-11, are Rs. 651.82, crore. Rs. 1,000.40 crore. Rs. 1,387.62 crore and Rs. 1.666.84 crore, respectively. IPL is a part of BCCI and has no separate legal status.

(c) BCCI amended its objects from 1 June, 2006. During assessment proceedings of BCCI for AY 2007-08. this change in objects was noticed. Hon'ble Allahabad High Court, in the case of Allahabad Agricultural Institute and Another Vs UOI and Others, had held that once the objects are